भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6329

दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

.....

हिडिसिंग सिंचाई परियोजना

6329. श्री रुद्र नारायण पाणीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ओडिशा के अंगुल जिले में हिडिसिंग मीडियम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को किस प्रकार और कितनी सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख) 'जल' के राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की योजना बनाना, वित्तपोषण, कार्यान्वयन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका चल रही योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करता है। इसमें जल उपलब्धता का आकलन, अंतर-राज्यीय पहलुओं की जांच, सिंचाई योजना, परियोजना की समग्र तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता आदि शामिल हैं।

ओडिशा के अंगुल ज़िले में स्थित हिडिसिंग मध्यम सिंचाई परियोजना का मूल्यांकन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03.09.2024 को आयोजित अपनी 156वीं बैठक में किया गया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 332.26 करोड़ रुपये (मूल्य स्तर: 2023) है। यह परियोजना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की किसी भी चल रही योजना के तहत केंद्रीय सहायता के दायरे में नहीं आती है।
